Case No. 464/2023

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं:. NCST/ATY-1088/RJ/1/2023-APCR

श्री उमेश मिश्रा
पुलिस महानिदेशक,
राजस्थान पुलिस ,
पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी
जयपुर, राजस्थान 303002
Email Id: dgp-rj@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक **24/05/2023 को 12:30 PM** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

<u>मामले का संदर्भ</u> **-: परिवादी के साथ जयपुर पुलिस द्वारा क्रमश दिनांक 04.03.2023, 10.03.2023 को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने एवं गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेने के संबंध में - डॉ किरोड़ी लाल मीणा, संसद सदस्य, राज्य सभा राजस्थान का अभ्यावेदन**

यदि आप बिना किसी विधिसम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 15/05/2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003